



## जयपुर डेयरी

**E-Tender Document for Hiring of TATA 407 at Sub-Center of Jaipur Dairy**

**एकल चरण – दो भाग निविदा**

**जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०**

गान्धी नगर, रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर-302015

वेबसाईट-[www.jaipurdairy.com](http://www.jaipurdairy.com)

ईमेल: [jaipurdairy@jaipurdairy.com](mailto:jaipurdairy@jaipurdairy.com)

Phone No. 0141-2713666-69 Fax. No.: 0141- 2711075

GST No. 08AAAAJ0767G1ZR

# **E-Tender Document for Hiring of TATA 407 at Sub-Center of Jaipur Dairy**

## **Table of Contents**

<b>Disclaimer .....</b>	
<b>Critical Dates.....</b>	
<b>Notice Inviting Bid/Tender.....</b>	
<b>Section I : Instructions to Bidders and Bid Data (ITB) .....</b>	
<b>Section II : Evaluation and Qualification Criteria .....</b>	
<b>Section III : Terms of Reference (TOR) .....</b>	
<b>Section IV : Bidding Forms .....</b>	
<b>Technical Proposal (Bid).....</b>	
<b>(i) Financial Proposal (Bid).....</b>	
<b>(ii) Section V : Contract Forms and Performance Security &amp; Additional Performance Security .....</b>	

**Disclaimer**

- A. The information contained in this e-tender/Bid document provided to the Bidder(s), by or on behalf of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited or any of its employees or advisors, is provided to the Bidder(s) on the terms and conditions set out in this e-tender/Bid document and all other terms and conditions subject to which such information is provided.
- B. The purpose of this e-tender/Bid document is to provide the Bidder(s) with information to assist the formulation of their Proposals. This e-tender/Bid document does not purport to contain all the information which each Bidder may require. This e-tender/Bid document may not be appropriate for all persons, and it is not possible for Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited, its employees or advisors to consider the business/ investment objectives, financial situation and particular needs of each Bidder who reads or uses this e-tender/Bid document. Each Bidder should conduct its own investigations and analysis and should check the accuracy, reliability and completeness of the information in this e-tender/Bid document and where necessary obtain independent advice from appropriate sources.
- C. Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited, its employees and advisors make no representation or warranty and shall incur no liability under any law, statute, rules or regulations as to the accuracy, reliability or completeness of the e-tender/Bid document.
- D. Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited may, in its absolute discretion, but without being under any obligation to do so, update, amend or supplement the information in this e-tender/Bid document.

**Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.**  
Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur  
PABX No. : 91-0141-2713666-69 (4 Lines) , Sales :91-0141-2713670  
Fax No. : 0141-2711075, MANAGER (PLANT): 0141-2711583  
E-Mail : jaipurdairy@jaipurdairy.com  
Website : <http://www.jaipurdairy.com>


## **E-Tender Document for Hiring of TATA 407 at Sub-Center of Jaipur Dairy**

### Critical Dates

S.No	Particulars	Date & time
1.	Date & time of uploading tender document by Jaipur Dairy.	14/04/2026 at 2.00 PM
2.	Date from which Bidding Document will be provided from the web-site of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited i.e. <a href="http://www.jaipurdairy.com">www.jaipurdairy.com</a> or can be downloaded from e-procurement or State Public Procurement Portal	14/04/2026 at 2.00 PM
3.	Pre-Bid meeting at JZDUSS LTD. HQ, Jaipur	17/04/2026 at 3.00 PM
4.	Last time and date upto which Bids can be submitted/ uploaded on e- procurement website	29/04/2026 Upto 02.00 PM
5.	Last date & time for submission of fees following in original and physical form:	29/04/2026 Upto 04.00 PM
	Bid-security/EMD: Rs. 50,000/- Per Vechicle by DD / banker cheque / pay order (CTS only)/ BG in name of JZDUSSLtd., Jaipur	
	Tender document fee : Rs. 1000/- by DD / banker cheque / pay order (CTS only)in name of JZDUSSLtd., Jaipur	
	RISL Procesing fee : Rs. 500/- by DD / banker cheque / pay order (CTS only)in name of MD, RISL., Jaipur	
6.	Time and date of opening of Technical Bid	30/04/2026 at 2.00 PM
7.	Time and date of opening of Financial Bid	To be informed later

SIGNATURE OF THE TENDERER WITH OFFICE SEAL & DATE  
JZDUSS LTD.

**Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.**  
Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur  
PABX No. : 91-0141-2713666-69 (4 Lines) , Sales :91-0141-2713670  
Fax No. : 0141-2711075, MANAGER (PLANT): 0141-2711583  
E-Mail : jaipurdairy@jaipurdairy.com  
Website : <http://www.jaipurdairy.com>



(सघ में किराये पर वाहन हेतु)

1. वाहन का प्रकार - टाटा 407
2. नाम निविदाकर्ता .....
3. निविदाकर्ता के पिता का नाम .....
4. स्थाई पता .....
- ..... पिनकोड .....
5. टेलीफोन नं..... मोबाईल नं .....
6. जमा राशि का विवरण-:

क्र. सं.	विवरण	डीडी नं	दिनांक	बैंक का नाम	राशि रु.
1.	आर.आई.एस.एल				
2.	फार्म फीस				
3.	धरोहर राशि				

7. वाहन संबंधी सूचना

क्र. सं.	रजिस्ट्रेशन नं.	वाहन का प्रकार	मॉडल	कोटपूतली (प्रथम) / कोटपूतली (तृतीय)
1.				
2.				
3.				

8. आयकर पैन नं.....जी.एस.टी नं.....  
बी.आर नं.....ई-मेल.....  
आधार कार्ड नं.....

SIGNATURE OF THE TENDERER WITH OFFICE SEAL & DATE  
JZDUSS LTD.

9. वाहन आर.टी.ओ. से मैकनिकली फिटनेस एवं इन्श्योरड कंडीशन में होना चाहिए एवं इन्श्योरड प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10. फर्म/कंपनी का प्रकार प्रोपराइटर/ पार्टनरशिप/ अन्य यदि पार्टनरशिप हो तो रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति मय पार्टनरशिप डीड को प्रस्तुत करें।
11. निविदा प्रस्तुत करते समय यदि निविदादाता के पास जी.एस.टी नं. उपलब्ध नहीं है तो निविदादाता के द्वारा कार्य आवंटन से पूर्व जी.एस.टी नं. प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
12. निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त सूचनायें भरी जानी आवश्यक है, जिसके अभाव में निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

**Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.**  
**Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur**  
**PABX No. : 91-0141-2713666-69 (4 Lines) , Sales :91-0141-2713670**  
**Fax No. : 0141-2711075, MANAGER (PLANT): 0141-2711583**  
E-Mail : [jaipurdairy@jaipurdairy.com](mailto:jaipurdairy@jaipurdairy.com) Website : <http://www.jaipurdairy.com>

**TENDER – FORM**

**Subject: E-Tender Document for Hiring of TATA 407 at Sub-Center of Jaipur Dairy**

- 1) Last Date & Time For Submission : 29/04/2026 till 02:00 PM
- 2) Date & time for opening of the Tender:  
(Technical bid only) : 30/04/2026 at 2:00 PM
- 3) Estimated value of Contract: Rs. 20,00,000
- 4) Security Amount : Rs. 1,00,000 per vehicle for Tata 407 by  
DD/ banker cheque / pay order (CTS only)
- 5) Earnest Money Deposit: Tender form must be accompanied with Earnest money deposit of Rs. 50,000/- Per Vehicle (Rs. Fifty Thousand). The EMD should be in the form of DD in favour of “Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited” without which the tender form will not be considered
- 6) Tender Fee (non-refundable): Rs.1000/-(Rupees One Thousand) by Demand draft/cash only in favour of JZDUSS LTD. Ltd., payable at Jaipur.
- 7) Tender Processing Fee(non-refundable): Rs. 500/- (Rupees Five Hundred)  
Demand draft in favour of MD, RISL, payable at Jaipur.
- 8) The complete Bidding Document including the Conditions of Contract , Evaluation and Qualification Criteria , Terms of Reference , Bidding Forms , Procedure of Bidding etc. can be seen at [www.jaipurdairy.com](http://www.jaipurdairy.com). Alternatively, these may be seen and downloaded from the website of State Public Procurement Portal, <http://sppp.rajasthan.gov.in> and website of e-procurement <http://eproc.rajasthan.gov.in> and the price of Bidding Document, Bid Security/ Bid Securing Declaration, as applicable and Processing Fee, the scan copy of these documents must be uploaded on e-procurement.  
The original Demand draft/ Banker’s cheque/ Bank Guarantee in the specified format, from a Scheduled Bank in India, shall be submitted personally or dropped in the Bid Box or by post in sealed envelopes deposited in the office of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited, Jaipur after last time and date of Bid submission and before Time and date of opening of technical Bid, or as specified in Bid Document, failing in which the bid shall be rejected.
- 9). The Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited is not bound to accept the successful Bid and may reject any or all Bids without assigning any reason thereof.
- 10). For any query regarding this tender bidder may contact Sh. Vikram Jeet Sharma, Asst. Manager (Transport) Mobile no. 9610885929

**11) NOTE- Important Instruction:- The Law relating to procurement “The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012” [hereinafter called the Act] and the “Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013” [hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.rajasthan.gov.in> Therefore, the Bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provisions of the Act and the Rules and this Bidding Document, the provisions of the Act and the Rules shall prevail.**

SIGNATURE OF THE TENDERER WITH OFFICE SEAL & DATE  
JZDUSS LTD.

# विस्तृत निविदा सूचना जयपुर डेयरी

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.  
गौधी नगर रल्वे स्टेशन के पास, जयपुर

Tele fax: 0141-2711075

EPABX: 2713666-69

ज.जि.दु.उ.स.सं.लि. / यातायात / 544-47

दिनांक 07/04/26

## ई-निविदा सूचना

जयपुर दुग्ध संघ द्वारा जोन के विभिन्न कार्यों हेतु निम्नानुसार वाहनों की निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	वाहन का प्रकार	निविदा प्रपत्र मूल्य रूपमें	अर्नेस्ट अमानत राशि रूपमें	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	तकनीकी भाग खोलने की दिनांक व समय
1	जोन के विभिन्न कार्यों हेतु	कोटपुतली (प्रथम) टाटा 407 वाहन-01 (एक) व कोटपुतली (तृतीय) टाटा 407 वाहन-01 (एक)	1000/-	50,000/- प्रति वाहन	25/04/2026 दोपहर 2.00 बजे तक	25/04/2026 दोपहर 2.00 बजे तक	27/04/2026 दोपहर 2.00 बजे तक

इच्छुक परिवहनकर्ता/व्यक्ति/फर्म निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से दिये गये निर्देशानुसार डाउन लोड कर दिनांक-25/04/2026 दोपहर 2.00 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र मय दस्तावेज अपलोड किये जाने की अंतिम दिनांक से पूर्व दिनांक-13/04/2026 सांय 3.00 बजे निविदाकर्ता व निविदादाताओं की बैठक का आयोजन किया जावेगा।

निविदा प्रपत्र का प्रथम भाग (तकनीकी भाग) दिनांक-27/04/2026 को दोपहर 2.00 बजे संघ कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। निर्देशानुसार धरोहर राशि (रु. 50,000/- जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, जयपुर के नाम डी.डी. के रूप में) /निविदा मूल्य (रु. 1000/- जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, जयपुर के नाम डी.डी. के रूप में) तथा निविदा प्रोसेसिंग फीस (रु. 500/- MD, RISL, Jaipur के नाम डीडी के रूप में) दिनांक-25/04/2026 सांय 4.00 बजे तक यातायात अनुभाग में जमा करवाया जाना आवश्यक है, जमा नहीं करवाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

निविदा प्रपत्र दो भागों (तकनीकी भाग-भाग अ एवं वित्तीय भाग-भाग ब) में है। जो निविदादाता प्रथम भाग में सफल रहेगें, उन्ही निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र के द्वितीय भाग को खोलने की दिनांक घोषित की जावेगी।

किसी भी निविदा प्रपत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंध संचालक महोदय, जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के पास सुरक्षित है।

प्रबंध संचालक

प्रतिलिपि-

1. प्रभारी (संयंत्र)
2. प्रभारी (वित्त एवं लेखा)
3. प्रभारी (प्रचार) को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को समाचार-पत्र एवं वेबसाइट पर प्रकाशित करावें।
4. प्रभारी (टैण्डर सैल)
5. मास्टर फाईल

सहाय-प्रबंधक (यातायात)

# अनुभाग -I

## Instruction to Bidders

### INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF E-TENDER FORM & DOCUMENTS

1. The bidders who are interested in bidding can download tender documents from <http://eproc.rajasthan.gov.in>
2. Bidders who wish to participate in this tender will have to register on <http://eproc.rajasthan.gov.in>. To participate in online tenders, Bidders will have to procure Digital Signature Certificate ( type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safecrypt, Ncode etc. or they may contact e-procurement Cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital certificate need not procure a new Digital Certificate.

Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

3. Bidders shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial proposal, however D.D. for Tender fees, Processing Fees and E.M.D. should be submitted manually in the office of Tendering Authority Before date & time of opening of technical bids and scanned copy of D.D. should also be uploaded along with the online bid.
4. Before electronically submitting the tenders, it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are digitally signed by the tenderer.
5. The scan copy of tender form, rates & other relevant documents duly signed by Tenderer should be submitted online only.
6. If required by the Tenderer, training may be given by DOIT, Yojana Bhawan, Bidder Contact: E-Procurement Cell, 1<sup>st</sup> Floor, Yojana Bhawan Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur. Help Desk MOBILE:+91-7878007972, +91-7878007973, or 180030702232 “Toll free, 24X7”  
E-mail- [eproc@rajasthan.gov.in](mailto:eproc@rajasthan.gov.in)
7. Tender Form & handwritten rates would not be accepted in Tender Box,
8. Please read carefully the steps of submitting Tender online.
9. Bidders are also advised to refer “Bidders manual” available under “Downloads” section for further details about the e-tendering process.

Grievance Redressal during procurement process			
	Grievance Redressal		Any grievance of a Bidder pertaining to the procurement process shall be by way of filing an appeal to the Appellate Authority, as specified below:
			Appellate Authority:- Managing Director, Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited

Appendix A: Grievance Handling Procedure during Procurement Process (Appeals)

Filing an appeal

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved about any decision, action or omission of the Procuring Entity, he may file an appeal to Appellate Authority, as may be designated for the purpose, within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which, he feels aggrieved:

Provided that the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the technical Bid before the opening of the financial Bid, an appeal related to the matter of financial Bid may be filed only by a Bidder whose technical Bid is found to be acceptable.

**(1) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely: -

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

**(2) Form of Appeal**

- (a) An appeal shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, in person or through registered post or authorised representative.

**(3) Fee for filing appeal**

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank payable in the name of Appellate Authority concerned.

**(4) Procedure for disposal of appeals**

- (a) The Appellate Authority, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall, -
  - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
  - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

**Annexure**  
**FORM No. 1**  
**[See rule 83]**

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012**

Appeal No .....of .....  
Before the ..... (Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

- 1.
- 2.
- 3.

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....  
.....

..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....  
.....

Place .....

Date .....

Appellant's Signature

## अनुभाग II:

### निविदादाताओं की अर्हता, पात्रता एवं मूल्यांकन की शर्तें

1. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :-

क्रम संख्या	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
2.	आय कर (पैन नंबर)				
3.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958/BR no. या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

- निविदादाता को निविदा प्रपत्र फीस, आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस, ई.एम.डी. राशि जमा करवाना आवश्यक है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- निविदादाता द्वारा जयपुर संघ अथवा संघ के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध (संघ से सम्बन्धित कार्य के बारे में ) किसी भी न्यायालय अथवा कहीं और किसी भी प्रकार का वाद लम्बित होने पर निविदा में भाग नहीं ले सकते।
- निविदादाता जिन्हे पूर्व में संघ द्वारा किसी भी कारण से अयोग्य किया गया है/निलम्बित/ अनुबंध निरस्त किया गया है / ब्लेक लिस्टेड किया गया है वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
- निविदादाता जिनका संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य से/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी वित्तीय सम्बन्ध है वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
- निविदादाता जिनका संघ के संचालक मण्डल के सदस्य/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी/अधिकारी /कर्मचारी से रक्त सम्बन्ध है वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
- निविदादाता जो दीवालिया / नाबालिक/अस्वस्थ मस्तिष्क के है वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
- निविदादाता जो संघ के समान/प्रतिस्पर्धी कार्य/व्यापार मे लिप्त है वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
- निविदादाता वर्तमान में किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड के कार्यालय/संयंत्र में अनुबंध के अंतर्गत कार्यरत हैं वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
- जयपुर दुग्ध संघ में सुरक्षा कार्य के अनुबन्धित ठेकेदार, पशु आहार संयंत्र कालाडेर के सभी अनुबन्धित ठेकेदार जयपुर दुग्ध संघ के निविदाओं में भाग नहीं ले सकते।
- वे निविदादाता जिनको निविदा में भाग लेने से सीमित किया जाता है उसके लिये निविदा की विशेष शर्तों में मय सीमित करने का आधार का उल्लेख किया जावेगा।
- निविदादाता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गई घोषणा गलत पाये जाने पर धरोहर /सुरक्षा राशि/बैंक गारंटी/अन्य देय भुगतान संघ में जब्त समझी जावेगी एवं टेण्डर की अवधि के दौरान तथ्य उजागर होने पर टेण्डर को निरस्त भी किया जा सकेगा। जिसके लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार रहेंगा।
- निविदादाता को निविदा से सम्बन्धित सभी शर्तें माननी होगी। निविदादाता द्वारा सशर्त निविदा प्रस्तुत किये जाने पर वह निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदादाता को जी.एस.टी. में पंजीकृत व पेन नम्बर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रस्तुत करते समय यदि निविदादाता के पास जी.एस.टी नं. उपलब्ध नहीं है तो निविदादाता के द्वारा कार्य आवंटन से पूर्व जी.एस.टी नं. प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- निविदादाता को प्रपत्र में वांछित सभी फार्म भरकर हस्ताक्षर मय सील अंकित कर प्रस्तुत करना होगा।
- लेबर सम्बन्धी निविदादाता के पास नियमानुसार पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकरण होना आवश्यक है। (यदि लागु हो)
- निविदादाता को निविदा प्रपत्र व संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित करनी होगी।
- एम.एस.एम.ई. निविदादाता को किसी भी प्रकार की टेण्डर फार्म राशि ई.एम.डी./सिक्योरिटी राशि में छूट नहीं दी जावेगी।
- परिवार के सदस्य जिनके निविदा दाता से रक्त सम्बन्ध हैं और जो निविदा दाता पर आश्रित हैं वे निविदा में भाग नहीं ले सकते।

## अनुभाग III (A)

### Terms of Reference

- 1** **Scope of Work:** Jaipur Dairy, Jaipur invites tender in two cover system for Hiring of TATA 407 at Sub-Center of Jaipur Dairy as per the prescribed Specifications. Prospective suppliers willing to participate in this tender shall necessarily register themselves in e-procurement portal
- 2** **Dividing quantities among more than one bidder at the time of award.** - As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted if such condition is specified in the bidding documents. Counter offer to first lowest bidder (L1), in order to arrive at an acceptable price, shall amount to negotiation. However, any counter offer thereafter to second lowest bidder (L2), third lowest bidder (L3) etc., (at the rates accepted by L1) in case of splitting of quantities, as pre- disclosed in the bidding documents, shall not be deemed to be a negotiation.
- 3.** All legal proceedings, if necessity arises, to be instituted by any of the parties shall have to be lodged in courts situated at Jaipur and not elsewhere.

## अनुभाग III (B)

### निविदा की सामान्य शर्तें

1. निविदा प्रपत्र दो भागों में है (तकनीकी भाग – भाग “अ” एवं वित्तीय भाग – भाग “ब”) । निविदादाता द्वारा दोनो भाग अलग अलग भरे जाने हैं एवं दोनो ही भाग अलग अलग लिफाफों में सीलबंद कर प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे पर फर्म का नाम इत्यादि विवरण अंकित करना आवश्यक है । ई-टेंडर होने की स्थिति में भाग “अ” तथा भाग “ब” अलग-अलग अपलोड किये जाने हैं ।
2. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा के भाग “अ” के साथ विशेष शर्तों के अनुसार धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी), टेंडर फार्म फीस के ड्राफ्ट जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, जयपुर के नाम संलग्न करनी होगी एवं टेंडर प्रोसेसिंग फीस का ड्राफ्ट MD RISL के नाम जमा करवाना होगा। जिसके अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी। सफल निविदादाता की धरोहर राशि सुरक्षा राशि के पेटे समामेलित कर दी जावेगी। ई-टेंडर होने की स्थिति में धरोहर राशि, टेंडर फार्म फीस एवं टेंडर प्रोसेसिंग फीस के ड्राफ्ट की स्केन की हुई कॉपी भाग “अ” के साथ अपलोड की जानी है तथा मूल ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिये गये निर्देशों के अनुसार जमा करानी आवश्यक है ।
3. असफल निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया पूर्ण होते ही उनकी धरोहर राशि लौटा दी जावेगी।
4. धरोहर राशि निम्न कारणों से जब्त की जायेगी :-
  1. यदि निविदादाता निविदा खुलने के पश्चात अपनी निविदा वापस लेता है या परिवर्तन करता है ।
  2. यदि निविदादाता दर स्वीकृति पत्र में दिये गये समय के अंदर सुरक्षा राशि एवं अनुबन्ध नहीं करता है।नोट : यदि उक्त कारण से निविदादाता की धरोहर राशि जब्त की जाती है तो वह पार्टी भविष्य में संघ में किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगी। ऐसे निविदादाता जिनकी धरोहर राशि पूर्व में जब्त की जा चुकी है वे इस निविदा में भाग लेने के लिये अयोग्य होंगे।
5. भाग “अ” के साथ सभी प्रकार के दस्तावेज इत्यादि संलग्न/अपलोड किये जाने आवश्यक है । **कोई भी आवश्यक दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी ।** भाग “ब” के लिफाफे में सिर्फ वित्तीय भाग ही होना चाहिए ।
6. सफल निविदादाता को (विशेष शर्तों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो) बैंक गारन्टी दिया जाना अनिवार्य हैं। जो कि अनुबन्ध समाप्ति की अवधि के छः माह पश्चात तक की होना अनिवार्य हैं ।
7. अनुबंध की अवधि को संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में तीन माह के लिए उन्हीं शर्तों पर बढ़ायी जा सकती है
8. अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने से पूर्व विशेष शर्तों के अनुसार सिक्यूरिटी के रूप में वांछित राशि जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । सुरक्षित राशि अनुबन्धित कार्यावधि सफलतापूर्वक समाप्ति के 6 माह पश्चात निम्न शर्तें पूरी हो जाने के उपरान्त बैंक से लौटाई जा सकेगी :-
  - (अ) निविदादाता को अनुबन्ध समाप्ति उपरान्त एक इण्डेमनिटी बाण्ड सौ रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने पर ।
  - (ब) सभी सम्बन्धित अनुभागों से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ।
  - (स) श्रमिक अधिनियमों के अन्तर्गत भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा नियम में जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर (यदि आवश्यक हो तो) ।
  - (द) कान्ट्रैक्ट लेबर अबोलिशन एक्ट के अधीन श्रमिकों के उपस्थिति, वेतन भुगतान भविष्य निधि योजना व जमा राशि इत्यादि की औपचारिकतायें पूरी किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्रों, पंजिकाओं में रिकार्ड संधारण किये जावेंगे तथा आवश्यकता पर प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। (यदि आवश्यक हो तो) ।
  - (य) सभी वैधानिक आवश्यकतायें मय आयकर/ टैक्स (यदि हो तो) व अन्य टैक्स नियमानुसार जमा करवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी । अनुबंधकर्ता द्वारा टैक्स जमा कराने सम्बन्धी दस्तावेज की प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो तो) प्रस्तुत करनी होगी ।
9. निविदा प्रपत्र के **विशेष शर्तों** में कार्य सम्बन्धी समस्त विवरण व शर्तों का विवरण दिया गया है । निविदादाता को इनके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर अंकित करके चाहे गये समस्त दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित फोटो प्रति तथा अमानत राशि का ड्राफ्ट संलग्न करते हुये पृथक रूप से एक मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर निविदा कार्य का नाम

व “भाग अ” अंकित करना होगा । ई-टेंडर होने की स्थिति में भाग अ तथा भाग ब अलग अलग अपलोड किये जाने हैं ।

10. निविदा प्रपत्र का भाग “ब” में निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दर भरी जानी है तथा इस दर के प्रपत्र को एक पृथक मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर कार्य का नाम व भाग “ब ” अंकित हो प्रस्तुत की जानी है। ई-टेंडर होने की स्थिति में भाग “ब ” निर्धारित प्रपत्र में अलग अपलोड किया जाना है
11. उपरोक्त दोनों मोहरबन्द लिफाफे को एक अन्य लिफाफे में मोहरबन्द करके उस पर कार्य विवरण व निविदा खुलने की तारीख अंकित करते हुये निर्धारित अवधि से पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । यह सिर्फ उन निविदाओं के लिए लागू होगा जिसमें ई-निविदा नहीं भरी जानी है ।
12. निविदादाता द्वारा सम्बन्धित कार्य के लिये प्रस्तुत की जाने वाली निविदा के भाग “अ” में चाही गई वांछित सूचनाएं एवं दस्तावेजों व निर्धारित ई.एम.डी. (अमानत राशि) जमा होने के आधार पर योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं की निविदाओं के सम्बन्धित भाग “ब” को खोला जावेगा ।
13. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा पत्र के भाग “अ” में किसी भी अपूर्ण सूचना अथवा सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति या ई.एम.डी. (अमानत राशि) के अभाव में अयोग्य घोषित किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत भाग “ब” पर विचार नहीं किया जावेगा ।
14. निविदा पत्र के भाग “ब” में सम्बन्धित कार्य हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरो का उल्लेख अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा । किसी प्रकार की ओवरराइटिंग पर सूक्ष्म हस्ताक्षर करना होगा । किसी संशय की स्थिति में शब्दों में लिखी राशि को ही मान्य किया जावेगा। ई-टेंडर होने की स्थिति में दरें निर्धारित प्रपत्र में ही भरी जानी है।
15. सफल निविदादाता को जयपुर दुग्ध संघ का नोमिनल सदस्य बनना आवश्यक है।
16. किसी प्रकार की शर्त जोड़ने एवं हटाने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा। किसी भी शर्त को जोड़ने अथवा हटाने या परिवर्तन करने का अधिकार प्रबंध, जयपुर दुग्ध संघ के पास निहित होगा।
17. निविदादाता को निविदा पत्र के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। ई-टेंडर होने की स्थिति में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर अपलोड किया जाना होगा ।
18. किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक महोदय में निहित रहेगा ।
19. फर्म के प्रकार में किसी भी तरह का परिवर्तन होने पर अनुबन्धकर्ता को इस कार्यालय में सूचित करना आवश्यक है । परन्तु यह परिवर्तन किसी भी पूर्व पार्टनर को अनुबंध के दायित्व से मुक्त नहीं करेंगीं । परिवर्तन के पश्चात भी अनुबंधकर्ता फर्म अनुबंध की शर्तों से बंधी हुई रहेंगी ।
20. कार्य आदेश देने के 15 दिवस के अन्दर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ करना होगा । जिसके अभाव में कार्य आदेश निरस्त कर अमानत राशि जब्त की जा सकेगी ।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायाधिकरण क्षेत्र जयपुर मान्य होगा ।
22. निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत/अपलोड किये गये निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा ।
23. निविदायें सीलबन्द लिफाफे में प्रकाशित निविदा सूचना एवं ठेके की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय में संलग्न प्रार्थना पत्र में अपना पूरा स्थायी पता व पत्र व्यवहार करने का पता टेलीफोन नम्बर अपना ई-मेल पता इत्यादि बिना किसी अधिलेखन (OVER WRITING) के प्रविष्टियाँ पूर्ण कर प्रत्येक पृष्ठ पर इस आशय के साथ कि मैंने प्रत्येक शर्त को पढ लिया है व समझ लिया है अपने हस्ताक्षर कर जमा कराना होगा । निविदादाता / अनुबंधकर्ता को कोई भी सूचना उसके ई-मेल के पते पर प्रेषित की जा सकती है । ई-मेल पर भेजी गई सूचना निविदादाता / अनुबंधकर्ता को उसी दिन प्राप्त हुई मानी जावेगी ।
24. डेयरी प्रशासन द्वारा निविदादाता के कार्यालय एवं अन्य संस्थाओं , जंहा विशेष शर्तों के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा दिया गया है, का अवलोकन किया जा सकता है ।
25. यदि कोई निविदादाता द्वारा कोई तथ्य छुपाया जाता है जोकि अनुबंध अवधि में सामने आता है तो अनुबंध निरस्त कर धरोहर राशि/सुरक्षा राशि/बैंक गारंटी एवं अन्य देय भुगतान जब्त कर लिया जावेगा ।
26. व्यवस्था में परिवर्तन होने पर एवं संघ हित में अनुबंध अवधि से पूर्व समाप्त करने का अधिकार संघ के पास होगा ।

27. किसी प्रकार की शर्त जोड़ने एवं हटाने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा, जबकि निविदा व अनुबंध में किसी भी प्रकार शर्त व नियम जोड़ने/हटाने का अधिकार संघ हित में प्रबंध संचालक महोदय, जयपुर दुग्ध संघ के पास निहित होगा।
28. अनुबंध की अवधि अनुबंधित कार्य प्रारम्भ करने के दिन, जिसकी गणना अनुबंध में वर्णित समस्त शर्तों को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध हस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कार्य आवंटन दिनांक से की जावेगी। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की कीमत राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के प्रावधान के अनुसार होगी।
29. मोहरबन्द निविदा निर्धारित तिथि व समय पर जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, जयपुर के कार्यालय में खोली जावेगी व उस समय निवेदक स्वयं या उसका अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहने हेतु इजाजत होगी। ऐसा इसलिये भी आवश्यक है कि उस दिन आवश्यक होने पर निविदा दरों पर नेगोशियेशन भी हो सकता है। ई-टेंडर होने की स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदाएं डाउनलोड की जावेगी।
30. निविदादाताओं द्वारा प्रेषित की गईं दरें जयपुर दुग्ध संघ प्रशासन के पास विचार कर नियमानुसार स्वीकार करने के लिये निविदा खुलने की तिथि से तीन माह तक खुला रखना होगा।
31. अनुबंधकर्ता द्वारा सम्पादित कराये गये कार्य का विवरण के समय निर्धारित प्रपत्र में भुगतान हेतु बिल अनुभाग अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण करवाकर कार्यालय में कार्य पूरा होने अथवा प्रत्येक माह की समाप्ति पर माह की पांच तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा। अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिल में से नियमानुसार कटौती की जावेगी।
32. अनुबंधकर्ता को उस पर लागू समस्त अधिनियमों कानूनों जैसे कारखाना अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विभाग अधिनियम, कांटेक्ट लेबर एक्ट 1970, आयकर अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, राज्य कर्मचारी अधिनियम, बाल श्रमिक रोकथाम एवं रेग्युलेशन एक्ट 1986 एवं आईएसओ 22000 के सिद्धान्तों की अनुपालना स्वयं को करनी होगी।
33. अनुबंधकर्ता को अपने प्रत्येक कर्मकार के लिये रु० 05 लाख बीमित मूल्य का दुर्घटना बीमा करवाना अनिवार्य है। कार्य के दौरान कर्मकार के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर समस्त कार्यवाही करने का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा। यदि अनुबंधकर्ता द्वारा दुर्घटना बीमा नहीं कराया जाता है तो अनुबंधकर्ता पर राशि रु. 5000/-की शास्ति आरोपित की जावेगी।
34. अनुबंधकर्ता को अपने कर्मकारों का स्वास्थ्य परीक्षण प्रत्येक 06 माह में करवाना आवश्यक है एवं सम्बन्धित रिकार्ड संस्था में देना होगा अन्यथा अनुबंधकर्ता पर राशि रु. 2500/-की शास्ति आरोपित की जावेगी।
35. अनुबंधकर्ता अथवा उसका प्रतिनिधि अपने या संघ में किसी अन्य अनुबंध के अधीन सुपरवाइजर/कर्मकार की तरह कार्य नहीं करेगा।
36. कार्य स्थल पर अनुबंधकर्ता अथवा उसका ड्राइवर कार्य के दौरान उपस्थित होना चाहिए, अन्यथा निविदा शर्तानुसार/नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
37. अनुबंधकर्ता को कोई भी शर्त जोड़ने अथवा हटाने या परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। अनुबंधकर्ता द्वारा किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर शास्ति आरोपित करने अथवा बिना किसी नोटिस या कारण बताये अनुबंध समाप्त करने का अधिकार दुग्ध संघ, जयपुर के प्रशासन का होगा।
38. प्रबन्ध निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करवाने हेतु अनुबंधकर्ता को स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक के माध्यम से सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी से अनिवार्य रूप से प्रतिदिन प्रति पारी सम्पर्क स्थापित करना होगा एवं आपात स्थिति में सम्पर्क स्थापित करने हेतु अनुबंधकर्ता या उसके प्रतिनिधि की उपलब्धता के सम्बन्ध में भी प्रबन्ध को अवगत कराना होगा।
39. Appeals :- First appellate authority - Chairman, JZDUSS  
Procedure for appeal is mention at Annexure "A"
40. सम्बन्धित अनुबंधकर्ता से अनुबंध अवधि में जो भी सूचना या दस्तावेज इस संघ द्वारा मांगे जावेंगे वे निश्चित अवधि में उपलब्ध करवाने आवश्यक होंगे यदि अनुबंधकर्ता के द्वारा दस्तावेज/सूचना नहीं दी जाती है तो अनुबंध की शर्तों की अवहेलना माना जावेगा तथा प्रबन्धन इस अनियमिता के लिये अनुबंधकर्ता पर शास्ती आरोपित कर सकेगा तथा अनुबंध भी निरस्त किया जा सकेगा।
41. अनुबंध अवधि के दौरान कार्य अंसतोषजनक होने पर प्रशासन द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। इस स्थिति में अनुबंधकर्ता की सुरक्षा राशि/ बैंक गारंटी एवं अन्य देय भुगतान भी जब्त किये जावेंगे।

42. अनुबन्ध अवधि के दौरान अनुबन्धित अनुबंधकर्ता द्वारा यदि वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो अनुबन्धकर्ता को बकाया नहीं प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि व अन्य कोई राशि वांछित सूचना उपलब्ध करवाने तक नहीं दी जावेगी। अनुबन्ध अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात किसी भी अधिकार के अन्तर्गत यदि कोई सूचना वांछित होती है तो वह सूचना अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा ।
43. निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें अनुबंध का हिस्सा होंगी ।
44. यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में वृद्धि/कमी की जाती है तो उसका समायोजन तदनुसार किया जावेगा, इसके अलावा यदि अन्य कोई नया कर निविदा के पश्चात निर्धारित किया जाता है तो उसका भुगतान देय दरों के अतिरिक्त होगा।
45. पात्रता की शर्त सख्या (11) में निविदा में भाग लेने से अपात्र माने जाने का आधार निम्नानुसार है :-
1. एक ही ठेकेदार द्वारा समस्त कार्यों का ठेका लेने की सम्भावना बढ़ जायेगी व किसी भी समय उसके द्वारा कार्य रोके जाने पर पूरी डेयरी का कार्य/सिटी सप्लाई बाधित हो सकती है। इस प्रकार की घटना पूर्व में भी जयपुर डेयरी में घटित हो चुकी है।
  2. सुरक्षा व्यवस्था में कार्यरत ठेकेदार यदि अन्य कार्यों का भी ठेका ले लेता है तो उसी के कर्मकार संयंत्र के अन्दर-बाहर आते जाते रहेंगे। ऐसे में ये किसी भी प्रकार की चोरी/अनियमितता होने पर संघ के उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट नहीं करेंगे एवं कार्य में पारदर्शिता नहीं रहेगी।
  3. एक ही ठेकेदार यदि समस्त कार्यों का ठेका ले लेता है तो यह स्वाभाविक रूप से एकाधिकार व हठधर्मिता प्रदर्शित करेगा।
  4. यह है कि निविदा में ज्यादा से ज्यादा निविदादाता भाग लेने चाहिए जिससे प्रतिस्पर्धात्मक रूप से दरें प्राप्त हो सकती है। ऐसे में दुग्ध संघ में कार्यरत वर्तमान ठेकेदारों के अतिरिक्त बाहर से ज्यादा से ज्यादा फर्मों को भाग लेने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।

उपरोक्त समस्त शर्तें पढ़ ली हैं व मान्य हैं ।

## निविदा से सम्बंधित विशेष शर्तें

1. निविदादाता के पास स्वयं का वाहन नहीं होने की स्थिति में टेण्डर स्वीकृत होने पर वाहन खरीद कर लगाना चाहता है तो वह टेण्डर में भाग ले सकता है। निविदा फार्म में वाहन का रजिस्ट्रेशन क्षमता व मॉडल वर्ष अंकित करना होगा तथा वाहन निविदाकर्ता के नाम की फोटो प्रतियाँ निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है। वाहन निविदादाता के नाम से होना आवश्यक है। यदि वाहन किसी अन्य नाम से है तो वाहन स्वामित्व उसे अपने नाम से स्थानान्तरण करने के पश्चात् ही बिल का भुगतान देय होगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संघ की शर्तों एवं नियमों के अनुरूप निविदा शर्तों में निर्दिष्ट वाहन का अनुबंध/ फिटनेस व वाहन संबंधित समस्त कागज प्रस्तुत करने होंगे।
3. पूर्ण रूप से भरे निविदा प्रपत्र को मय धरोहर राशि रु. 50,000/- (पचास हजार) प्रति वाहन की डीडी (CTS) निर्धारित तिथि एवं समय पर जमा करवाना होगा। सफल निविदादाता को वाहन के लिये कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के रूप में रु. 1,00,000/-प्रति वाहन की डीडी (CTS) जमा करवाना होगा। जमा कराई गई धरोहर राशि रु. 50,000/- को वॉछित कार्य संपादन प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दिया जावेगा। आर.टी.पी.पी एक्ट के अनुसार कार्य संपादन प्रतिभूति राशि डीडी/बैंकर चैक/पे-ऑर्डर, बैंक गारंटी के रूप में दी जा सकती है। जमा सुरक्षा राशि/अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
4. निविदादाता को वाहन किराये का मासिक भुगतान आर.टी.पी.पी रूल्स 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।
5. निविदादाता टाटा 407 वाहन हेतु अपनी दरें प्रति KG निर्धारित प्रारूप (BOQ- XLS SHEET ) में ही प्रस्तुत करें।
6. एक निविदादाता द्वारा अधिकतम दो (02) वाहन उपलब्ध कराये जा सकते हैं।
7. सफल निविदादाता को कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के साथ निर्धारित राशि रु. 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदादाता द्वारा स्वयं प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाना होगा कि उसे जयपुर दुग्ध संघ व अन्य दुग्ध संघों द्वारा वाहन उपलब्ध करवाने के संबंध में प्रतिबंधित/ ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो एवंम यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा संघ के विरुद्ध किसी भी प्रकार का वाद लांम्बित होने पर निविदा अयोग्य मानी जावेगी।
9. निविदादाता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों एवं राजस्थान मोटर करारोपण नियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. ठेका अवधि के दौरान यदि ठेकेदार द्वारा वाहन बिना सूचना के हटा लिया जाता है तो संघ द्वारा देय भुगतान, धरोहर राशि तथा अंतिम माह के बिल की राशि जब्त कर ली जावेगी। यदि 15 दिवस तक ठेकेदार द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो यह मान लिया जावेगा कि ठेकेदार वाहन चलाने का इच्छुक नहीं है।
11. ठेके के दौरान वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर इससे संबंधित समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। संघ का इस हेतु कोई दायित्व नहीं होगा। दुर्घटना में जान-माल की हानि की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इस संबंध में पुलिस इन्श्योरेंस व अन्य दायित्व ठेकेदार के होंगे।
12. ठेकेदार अपना ठेका किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।
13. ठेकेदार द्वारा वाहन पर वाणिज्यिक लाइसेंसशुदा एवं स्वस्थ वाहन चालक ही लगाया जावे एवं फिटनेस संबंधि समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होनी चाहिए।

14. ठेकेदार द्वारा संघ को उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन का टैक्स, इन्श्योरेंस, प्रदुषण नियंत्रण का प्रमाण-पत्र (पी.यू.सी) एवं फिटनेस संबंधित समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होनी चाहिए। वाहन का सम्पूर्ण बीमा वाहन में बैठने वाली सवारियों सहित होना चाहिए।
15. ठेके के दौरान वाहन खाली समय में किसी अन्य कार्य में उपयोग नहीं लिया जा सकेगा तथा ठेका अवधि में बिना सूचना वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने की दशा में गुण-दोष के आधार पर न्यूनतम रु. 500/- प्रतिदिन की शास्ति आरोपित की जा सकेगी।
16. वाहन चालक को संघ के नियमों का कड़ाई/सख्ताई से पालन करना होगा तथा अधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा।

### विशेष शर्तें व नियम

1. निविदा में माँगे गये समस्त वाहन टैक्सी परमिट होने चाहिए।
2. निविदा में वर्णित वाहनों का मॉडल 2022 या बाद का होना चाहिए।
3. वाहन की आर.सी., इन्श्योरेंस परमिट एवं ड्राइवर का लाइसेंस ऑरिजनल सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना होगा। प्रत्येक की एक सत्यापित फोटो कॉपी कार्यालय में संबंधित को जमा करवानी होगी।
4. दर स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् दस दिवस के अंदर वाहन को सत्यापन हेतु डेयरी के यातायात अनुभाग में लाना होगा।
5. ठेका स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् वाहन को संबंधित अधिकारी के अधीन निर्देशानुसार कार्य करना होगा। यात्रा के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की शिकायत करने पर कार्यवाही की जा सकती है एवं उक्त की पुनरावृत्ति करने पर ठेका समाप्ति की कार्यवाही भी की जा सकती है तथा भविष्य में निविदाओं के लिए भी प्रतिबंध कर दिया जावेगा।
6. वाहन की लॉग बुक संबंधित अधिकारी से प्रति यात्रा एवं प्रतिदिन प्रमाणित करवानी होगी तथा इसकी एक प्रति बिल के साथ संलग्न करनी होगी।
7. यात्रा पर जाने से पूर्व तथा लौटने के पश्चात् संबंधित अवशीतन केन्द्र के गेट पर रखे रजिस्टर में किलोमीटर रीडिंग का इन्द्राज करवाना होगा। पालना नहीं करने पर वाहन को अनुपस्थित माना जाकर शास्ति आरोपित की जावेगी।
8. यदि यात्रा के दौरान मीटर खराब हो जाता है तो सक्षम अधिकारी से प्रमाणित अनुमानित किलोमीटर देय होंगे तथा दो दिवस में मीटर सही कराने की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी।
9. जयपुर दुग्ध संघ को बी.एम.सी/गुण-नियंत्रण/विभिन्न दुग्ध अवशीतन केन्द्र/ स्थानीय बाजार से सामान क्रय करने/राजस्थान व राजस्थान के बाहर आवश्यकतानुसार अधिकारीयो/ कर्मचारियों को लाने व ले-जाने तथा आवश्यकतानुसार सामान को परिवहन किये जाने हेतु कोटपुतली (प्रथम) जोन में 01 व कोटपुतली (तृतीय) जोन में 01 टटा 407 वाहन की विभिन्न कार्यो हेतु आवश्यकता है। यदि वाहन को जयपुर स्थानीय यात्रा के अलावा अन्य किसी शहर या गाँव में भेजा जाता है तो किसी भी प्रकार का कोई भत्ता जैसे रात्रि विश्राम भत्ता, अन्य भत्ता देय नहीं होगा। वाहन को आवश्यकतानुसार राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी संघ के कार्य से भेजा जा सकता है। इस संबंध में परिवहन विभाग से आवश्यक अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने की समस्त जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी।
10. ठेकेदार यह सुनिश्चित करें कि वाहन सुरक्षित एवं निर्बाध प्रतिदिन यात्रा करने में सक्षम तथा वाहन में आवश्यक मात्रा में डीजल/पेट्रोल//ऑयल उपलब्ध है। संघ द्वारा पुनःभरण हेतु डीजल/पेट्रोल/ऑयल नहीं दिया जावेगा।
11. निविदादाता अनुबंध होने के पश्चात वाहन पर केवल योग्य चालक वाणिज्यिक लाइसेंस धारक कर्मचारी ही रखेगा। यदि कार्य करते समय वाहन दुर्घटना हो जाती है या उसके कर्मचारी को कोई चोट लग जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। इसकी लिखित सूचना निविदादाता द्वारा 24 घण्टें में जयपुर डेयरी को देनी होगी।

12. यदि यात्रा के दौरान वाहन रास्तों में खराब हो जाता है तो ठेकेदार को वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत करनी होगी अन्यथा उक्त यात्रा के पेटे किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं दिया जावेगा तथा वैकल्पिक व्यवस्था संघ द्वारा करने पर अंतर राशि वसूली जावेगी।
13. यदि किसी दिन वाहन खराब हो जाता है या किसी भी कारण से वाहन उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो उस दिन के लिए रु. 500/- प्रतिदिन की दर से शास्ति आरोपित की जावेगी तथा आपातकालीन उपयोग में लिए गए वाहन के भुगतान के अंतर की राशि वसूली जावेगी।
14. प्रबंध संचालक को अनुबंधित किसी भी वाहन के मॉडल, रंग अथवा क्षमता में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
15. आयकर व अन्य टैक्स जो इस ठेके से संबंधित ठेकेदार को ही वहन करने होंगे। ठेकेदार का अपना आयकर का पैन नं. अनिवार्य रूप से देना होगा।
16. निविदादाता द्वारा दी गयी सेवाओं का भुगतान मासिक किया जावेगा। माह की समाप्ति पर अनुबंधनकर्ता बिल तीन प्रतियों में जयपुर डेयरी को प्रस्तुत करेगा। भुगतान के लिए लॉग बुक प्रस्तुत करनी होगी। परिवहनकर्ता को अनुबंधित वाहन का बिल अगले माह की 15 तारीख तक दिया जाना होगा। तत्पश्चात् एक माह से अधिक देरी के उपरांत रु. 500/- प्रति माह शास्ति आरोपित की जावेगी।
17. अकेंक्षण के दौरान यदि निविदादाता के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया निकाली जाती है तो इसकी क्षतिपूर्ति उसके द्वारा की जावेगी। नहीं किये जाने की दशा में विभाग के पास उपलब्ध राशि प्रतिभूति/धरोहर राशि से समायोजित की जावेगी।
18. डीजल/पेट्रोल की दरों में बढ़ोतरी/घटोतरी होने पर टाटा 407 वाहन के प्रति लीटर खपत के आधार पर 10 कि.मी. प्रति लीटर के औसत को आधार मानकर दरों में बढ़ोतरी/घटोतरी की जावेगी।
19. विभाग द्वारा वांछित सभी अभिलेख निविदादाता को संघारित करने होंगे।
20. अनुबंधित अनुभाग को राजकीय अवकाश सहित को आवश्यकतानुसार किसी भी समय निर्दिष्ट स्थान एवं समय पर तुरंत वाहन उपलब्ध करवाना होगा।
21. अनुबंधित वाहन 24 घण्टे विभाग के नियंत्रण में रखना होगा। सभी दिवस कार्य दिवस होंगे
22. वाहन विभाग को उपलब्ध करवाते समय सही एवं चालू हालत में होना चाहिए। सवारी वाहन वातानुकूलित होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी होने पर वाहन को विभाग द्वारा उपयोग में नहीं लिया जावेगा। ऐसे में किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
23. वाहन की लॉग बुक विभाग द्वारा निर्देशित प्रपत्र में रखी जानी होगी। लॉग बुक तीन प्रतियों में तैयार की जानी होगी।
24. 1. निविदादाता को दर समस्त कर (जी.एस.टी), रोड़ टैक्स, सवारी टैक्स इत्यादि शामिल कर प्रस्तुत करनी है। राजस्थान सीमा के अतिरिक्त अन्य राज्य सीमा में वाहन के परमिट, टैक्स इत्यादि निविदादाता को जमा कराना होगा।  
2. टाटा 407 वाहन निविदादाता को टोल टैक्स का पुर्नभरण, भुगतान के पश्चात् संबंधित अधिकारी से सत्यापित करवाकर, वाहन नंबर अंकित होने के पश्चात् ही किया जावेगा।
25. वाहन मय ड्राईवर प्रातः 8.00 बजे से सांय 8.00 बजे तक संबंधित अनुभाग में उपलब्ध करवानी होगी। वाहन कभी भी किसी भी समय पर संघ कार्यालय में बुलाया जा सकता है। वाहन प्रस्तुत नहीं होने पर प्रबंध संचालक महोदय के निर्देशानुसार शास्ति लगायी जावेगी एवं कार्य के लिए संघ द्वारा वाहन की व्यवस्था करने पर अंतर राशि का भुगतान परिवहन बिल से काटा जावेगा।
26. निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें अनुबंध का हिस्सा होंगी।

## जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, जयपुर

### टाटा 407 वाहनों हेतु नियम एवं शर्तें

1. जयपुर दुग्ध संघ पंजीकृत सहकारी संघ है जो जयपुर एवं आस पास स्थित सहकारी समितियों एवं दुग्ध संग्रह केन्द्रों में दुग्ध एकत्रित करने का कार्य करती है, और इस हेतु आस पास की सहकारी समितियों से दुग्ध लाने के लिये अपने वाहन से दुग्ध लाने वाले ठेकेदार की जयपुर दुग्ध संघ को समय समय पर आवश्यकता होती है ताकि दर्ज शर्तों से अनुबन्धित होकर इस इकरारनामे में दर्ज पक्षकरान इकरार करते हैं और स्वीकार करते हैं कि निम्नलिखित शर्तों का पालन करते रहेंगे तथा संघ के हितों के विपरीत अनुबन्ध नहीं करेंगे।
2. सफल निविदादाता द्वारा इस प्रपत्र में वर्णित शर्तों के आधार पर विभिन्न दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों/दुग्ध संकलन केन्द्रों से, जिनकी समय सारणी, अनुबन्ध उपरान्त उपलब्ध कराई जावेगी एवं जिसे समय समय पर संघ बदल सकता है, अपने वाहन से दुग्ध लाकर एवं एकत्रित कर, डेयरी संयंत्र/अवशीतन केन्द्र या जयपुर दुग्ध संघ द्वारा निर्देशित किसी स्थान पर प्रपत्र में वर्णित शर्तों के आधार पर वाहन से परिवहन का कार्य करना होगा।
3. जयपुर दुग्ध संघ और सफल निविदादाता के मध्य हुये इस इकरारनामे की अवधि साधारणतया दो वर्ष की होगी किन्तु जयपुर दुग्ध संघ में यह अधिकार निहित होगा कि उपर्युक्त 24 माह की अनुबन्ध अवधि के समाप्ति के पश्चात भी अनुबन्ध 3 माह की अवधि के लिये आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी, इस बढ़ाई गई अवधि में समस्त शर्तें यथावत लागू होंगी।
4. सफल निविदादाता द्वारा अपनी किराये/भाड़े की दर निर्धारित प्राइस बिड/बीओक्यू में प्रतिकिमी/प्रतिकिग्रा दुग्ध की दर देनी होगी।
5. जयपुर दुग्ध संघ द्वारा भाड़ों के बिलों का भुगतान आरटीजीएस/बैंक एडवाईज द्वारा अदा किया जायेगा। उपर्युक्त भुगतान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार स्रोत पर आयकर काटकर दिया जावेगा। वाहन सफल निविदादाता का होगा तथा उस वाहन के ड्राइवर, खलासी, पेट्रोल, डीजल, तेल व टूट फूट रोड टैक्स, टोल टैक्स, परिचालन सम्बन्धी अन्य समस्त खर्च, शास्तियां एवं दावों से सम्बन्धित समस्त खर्च सफल निविदादाता को वहन करने होंगे।
6. सफल निविदादाता अनुबन्ध की पालना करेगा एवं अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से, अपने कार्य हस्तान्तरित करके, सम्पन्न नहीं करवा सकेगा।
7. दुग्ध परिवहन अनुबन्ध किसी अन्य दुग्ध पथ के लिये हुआ है एवं जयपुर दुग्ध संघ दुग्ध परिवहन पथ का रूट बदलता है एवं बदले हुये पथ पर कोई टैक्स लगता है तो ऐसी स्थिति में टोल टैक्स जयपुर दुग्ध संघ वहन करेगी।
8. सफल निविदादाता प्रतिदिन जयपुर दुग्ध संघ के डेयरी संयंत्र/निश्चित स्थान से, खाली दुग्ध कैन, रसीद (ट्रकशीट) देकर प्राप्त करेगा और अपने वाहन में लोड करेगा तथा जयपुर दुग्ध संघ के निर्देशानुसार निर्धारित समितियों को खाली कैन सम्भलायेगा एवं वहां से दूध के भरे हुये कैन लोड कर, निर्धारित समय अवधि के अन्दर, डेयरी संयंत्र/अवशीतन केन्द्र, जयपुर दुग्ध संघ द्वारा निश्चित स्थान पर लाकर उपलब्ध करवायेगा और रसीद (ट्रकशीट) प्राप्त करेगा। निर्धारित सहकारी समितियों को जाने का मार्ग व उन पर पहुंचने का समय तथा डेयरी संयंत्र/अवशीतन केन्द्र से रवाना होने व वापस डेयरी संयंत्र/अवशीतन केन्द्र पर पहुंचने का समय जयपुर दुग्ध संघ समय समय पर निर्धारित कर सकेगा। जिसकी पूर्व सूचना जयपुर दुग्ध संघ सफल निविदादाता को लिखित में देगा। खाली दुग्ध कैन जयपुर दुग्ध संघ द्वारा सफल निविदादाता को, प्रतिदिन उसके द्वारा दुग्ध भरे कैन देने के बाद ही तुरन्त दे दिये जावेंगे या जयपुर दुग्ध संघ के आदेशानुसार खाली कैन भी पहुंचायेगा।

9. वाहन के किसी भी वजह से खराब हो जाने व टूट फूट हो जाने अथवा दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की अवस्था में दूसरी गाडी की व्यवस्था करना तथा दूध को निर्धारित समय में पहुंचाने की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी। उपरोक्त चाही गयी व्यवस्था न करने की स्थिति में सफल निविदादाता के दुग्ध रूटों से संकलित दूध, खटटे व दही अवस्था में प्राप्त होने से होने वाली हानि सफल निविदादाता से वसूल की जावेगी। हानि का अभिप्राय अच्छे दूध की कीमत व खराब दूध की कीमत में जो अन्तर है, उससे है। उपर्युक्त क्षति का निर्धारण जयपुर दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगा।
10. देवीय या प्राकृतिक कारणों से पूर्व निर्धारित रास्ता परिवहन की दृष्टि से अवरूद्ध हो जाने की अवस्था में सफल निविदादाता जयपुर दुग्ध संघ को पूर्व सूचना लिखित या मौखिक में देकर जयपुर दुग्ध संघ द्वारा निर्देशित मार्ग से जाकर दूध ला सकेगा जब तक कि रास्ता साफ होकर परिवहन योग्य नहीं हो जाता है। इस अवस्था में जयपुर दुग्ध संघ अतिरिक्त दूरी हेतु भुगतान अदा करेगा और ऐसी अवस्था में दूध को लाने में देरी की वजह से जो दूध खराब अथवा खटटा हो जाये उसकी जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
11. सफल निविदादाता दुग्ध संकलन के लिये जाते समय अपने वाहन में समय समय पर जयपुर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित सहकारी समितियों को भेजा जाने वाला ऐसिड, एल्कोहल, मिनरल मिक्सचर, यूएमबी, बीज, डेयरी उपकरण, स्टेशनरी आदि अन्य सामान को ले जाना होगा तथा रसीद प्राप्त करके सहकारी समितियों को देना होगा और इस सामान के यातायात के लिये सफल निविदादाता को अलग से अतिरिक्त में कोई भुगतान (पेमेन्ट) नहीं किया जावेगा।
12. परिवहनकर्ता को दुग्ध परिवहन अनुबन्ध के अन्तर्गत निम्न कार्य और करने होंगे:—
  - (1) साफ किये हुये खाली कैनो को समितियों पर लौटाना।
  - (2) डेयरी संयंत्र/अवशीतन केन्द्र या निर्दिष्ट स्थान से सन्तुलित पशु आहार की बोरियों का परिवहन इस कार्य के लिये संघ द्वारा अतिरिक्त निर्धारित किराया दिया जावेगा। दुग्ध परिवहन अनुबन्धकर्ता द्वारा पशु आहार परिवहन नहीं किये जाने पर निर्धारित दर से अतिरिक्त जो व्यय भार होगा। (वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा) वह सम्बन्धित दुग्ध परिवहनकर्ता से वसूली योग्य होगी।
  - (3) संघ अथवा समितियों को जाने वाली समाचार व्यवस्था अथवा मार्ग व्यवस्था जैसे ट्रकशीट आदि एवं ट्रकशीट पर समिति द्वारा इन्द्राज करवाना।
  - (4) जब कभी आवश्यकता पड़े तो दुग्ध का चैक/ड्राफ्ट इत्यादि सम्बन्धित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को सही रूप से पहुंचाने होंगे एवं इस तरह समितियों से डेयरी डॉक तक पहुंचाने होंगे।
13. सफल निविदादाता के कार्यों व कर्तव्यों से, अगर जयपुर दुग्ध संघ संतुष्ट नहीं हो तो और/अथवा, सफल निविदादाता का कार्य जयपुर दुग्ध संघ के हित में नहीं हो तो जयपुर दुग्ध संघ का पूर्ण अधिकार होगा कि वह अपने विवेक से सफल निविदादाता का यह अनुबन्ध, बिना कारण बताये, तत्काल प्रभाव से शेष अवधि के लिये निरस्त कर दें तथा ऐसी अवस्था में सफल निविदादाता अपने द्वारा जमा प्रतिभूति राशि (जमानत राशि) वापस प्राप्त करने का भी किसी प्रकार से अधिकारी नहीं होगा।
14. जयपुर दुग्ध संघ द्वारा यह कि इस अनुबन्ध की किसी भी शर्त का सफल निविदादाता द्वारा उल्लंघन किया गया, पाये जाने पर, जयपुर दुग्ध संघ सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि ₹ 50,000/— एवं ₹ 10,000/— तक की शास्ती परिवहन बिलों से अपने विवेक से जब्त कर सकेगी और अनुबन्ध, की अवधि समाप्त होने के पश्चात यह प्रतिभूति एवं अंतिम बिल की राशि सफल निविदादाता को नहीं लौटायी जावेगी और वह अनुबन्ध उसी दिन से समाप्त समझा जावेगा।
15. दूध की चोरी/हेराफेरी/दूध में मिलावट/अन्य अनियमितता पाये जाने पर दुग्ध वाहन का दूध परिवहन अनुबन्ध से निलम्बित किया जा सकता है एवं निलम्बित अवधि में वैकल्पिक व्यवस्था कर दुग्ध परिवहन करवाया जा सकेगा।
16. उपरोक्त अनियमितता सही पाये जाने पर दुग्ध परिवहन दर की अन्तर राशि की कटौती निलम्बित वाहन से करते हुये संघ एवं सम्बन्धित पथ की दुग्ध समितियों को हुई हानि की वसूली वाहन ठेकेदार से करते हुये वाहन को हटाया जावेगा इसके साथ रु 10,000/— की शास्ती लगाई जा सकती है एवं सिक्क्यूरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी। निलम्बन अवधि अधिकतम एक माह होगी। इस अवधि के प्रकरण की जांच प्रबन्धक द्वारा गठित कमेटी द्वारा पूर्ण कर ली जावेगी। वैकल्पिक वाहन पूर्णतया अस्थाई मानते हुये वाहन मालिक से सिक्क्यूरिटी राशि रु 1,00,000/— नगद जमा करवाये जावेगे। शेष बची राशि का भुगतान यदि कोई हो तो भुगतान किया जा सकेगा। भविष्य में निविदा में भाग लेने के लिए अयोग्य करार कर दिया जावेगा।

17. यह है कि मासिक आधार पर पथ के वाहन ठेकेदार द्वारा, दुग्ध समितियों से, जिनका दुग्ध परिवहन किया गया है, उनकी दूध की मात्रा/फैट/एसएनएफ आदि कोई बकाया नहीं है का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावेगा एवं दुग्ध परिवहन बिल के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।
18. (अ) वाहन ठेकेदार संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं, पत्नि/पति व आश्रित नहीं होना चाहिए। ऐसा पाये जाने पर वाहन ठेकेदार का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।  
(ब) वाहन जयपुर दुग्ध संघ की दुग्ध समितियों/प्रस्तावित दुग्ध समितियों पर कार्यरत सचिव/वैतनिक कर्मचारी स्वयं व पत्नि/पति व आश्रित का नहीं होना चाहिए। ऐसा पाये जाने पर वाहन ठेकेदार का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।
19. सफल निविदादाता को अपने वाहन के मोटर व्हीकल कानून के तहत समस्त कागजात मुवक्किल अपने स्तर पर व अपने खर्चे पर रखने होंगे तथा वाहन की पूर्ण रूपेण सही व चालू रखने की जिम्मेदारी सफल अनुबंधकर्ता की होगी और वाहन का चालान आदि होने पर उसकी जिम्मेदारी सफल अनुबंधकर्ता की होगी तथा ऐसे कारणों या अन्य और कोई कारण से उत्पन्न देरी की वजह से जो दूध फट जाता है या खटटा हो जाता है या उसमें खराबी हो जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सफल अनुबंधकर्ता की होगी तथा सफल अनुबंधकर्ता इस प्रकार हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति पूर्णरूपेण जयपुर दुग्ध संघ को करेगी। जयपुर दुग्ध संघ को उक्त नुकसान की क्षतिपूर्ति, सफल निविदादाता के बकाया बिलों में से समयोजन करने का अधिकार होगा।
20. सफल निविदादाता को आगे वाहन पर जयपुर दुग्ध संघ का नाम अंकित करवाते हुये यह भी प्रदर्शित करना होगा कि वाहन में रखा हुआ दूध उपभोक्ता को सीधे बिक्री हेतु नहीं है तथा वाहन पर संघ द्वारा निर्देशित कलर कराना होगा।
21. सफल निविदादाता द्वारा रकम ₹ 1000/- या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित निश्चित स्टाम्प पेपर क्रय कर अनुबन्ध पत्र बनवा कर जयपुर दुग्ध संघ को प्रस्तुत करना होगा।
22. सफल निविदादाता इस अनुबन्ध में बताये गये व स्वीकार किये गये समस्त कार्यों के मुताबिक शर्तों की पालना अनुबन्ध के कार्यकाल में करता रहेगा और इस बाबत सफल निविदादाता जयपुर दुग्ध संघ के पास ₹ 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख) प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। जो कि प्रतिभूति राशि अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के पश्चात सफल निविदादाता को 2 माह के भीतर जयपुर दुग्ध संघ से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्राप्त कराना होगा, जिसके पश्चात जयपुर दुग्ध संघ से सफल निविदादाता को प्रतिभूति राशि का रिफण्ड किया जायेगा। दो माह के अन्दर नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर, 500/- रूपये प्रतिमाह का भुगतान सफल निविदादाता से वसूल करने का अधिकार जयपुर दुग्ध संघ को निहित रहेगा व जयपुर दुग्ध संघ प्रतिभूति राशि के भुगतान विलम्ब के लिये किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
23. समय समय पर आवश्यकतानुसार जयपुर दुग्ध संघ अपने विवेक से, एक पक्षीय निर्णय, संघ हित में लेकर समय और मार्ग का परिवर्तन कर सकेगी, दुग्ध संकलन मार्ग में सम्मिलित समितियों की संख्या कम या अधिक कर सकेगी एवं अपनी सुविधा के अनुसार किसी बिन्दू तक दुग्ध परिवहन करा सकेगी। मार्ग की दूरी के परिवर्तन की दशा में सफल निविदादाता को उनके वाहन द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी के लिये ही अनुबन्ध में निर्धारित दर से भुगतान किया जावेगा। सफल निविदादाता उक्त परिवर्तनों की पालना हेतु बाध्य होगी।
24. सफल निविदादाता की किसी भी गलती या अवहेलना या अनुबन्ध की किसी भी शर्तों को तोडने से उत्पन्न होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति सफल निविदादाता को दिये जाने वाले उसके भाडे की रकम में से एवं उसकी प्रतिभूति राशि में से काट कर पूरा कर सकेगी।
25. जयपुर दुग्ध संघ द्वारा सफल निविदादाता को उसके द्वारा जमाशुदा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
26. जयपुर दुग्ध संघ सफल निविदादाता से उसके द्वारा कैन नहीं लौटाये जाने पर कैन/कैनों की कीमत प्राप्त कर सकेगी जो उसके माह के भाडे के बिल से वसूल होगी या सफल निविदादाता द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि से प्राप्त कर सकेगा।
27. यदि सफल निविदादाता ने किसी कारणवश दुग्ध परिवहन हेतु गाडी नहीं भेजी तो ऐसी हालत में दूध न उठाये जाने के कारण संघ और समिति को जो हानि होगी, वह सफल निविदादाता से वसूल की जावेगी तथा शास्ती भी आरोपित की जा सकती है। शास्ति प्रबंध संचालक महोदय के विवेकानुसार निर्धारित होगी।

28. दुग्ध संकलन/परिवहन के दौरान गाड़ियों को समितियों के अलावा अनावश्यक स्थानों पर वाहन चालक, खलासी द्वारा नहीं रोका जावेगा।
29. जयपुर दुग्ध संघ आवश्यकतानुसार अपने प्रतिनिधियों को वाहन के साथ भेज सकेगी।
30. किसी कारणवश जयपुर दुग्ध संघ किसी भी समिति से दुग्ध संकलन नहीं करती या नहीं करना चाहती या बन्द कर देती है तो उस अवस्था में सफल निविदादाता उस मार्ग पर अपना वाहन नहीं चलायेगी। यदि वाहन ले जावेगा और उस अवधि में जयपुर दुग्ध संघ से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी कारणवश दूध संकलन की गतिविधि आंशिक/पूर्ण रूप से बन्द की जाती है तो वाहन को कोई भुगतान उक्त अवधि में देय नहीं होगा।
31. वाहन खराब होने अथवा, दुर्घटनाग्रस्त होने पर सफल निविदादाता को वैकल्पिक इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था मात्र तीन दिवस तक ही सीमित रहेगी। तत्पश्चात सफल निविदादाता को वैकल्पिक व्यवस्था के सम्बन्ध में जयपुर दुग्ध संघ से लिखित स्वीकृति या अनुमति लेनी आवश्यक होगी, पर यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी दुर्घटना में दूध अथवा दूध कैनो, पशु आहार एवं अन्य सामग्री की हानि की पूर्ति शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति सफल निविदादाता करेगी। यदि अनुमोदित वाहन से कम क्षमता वाले वाहन से दुग्ध परिवहन किया जाता है तो सफल निविदादाता पर जुर्माना किये जाने का अधिकार होगा, जिसका निर्धारण गठित कमेटी द्वारा किया जावेगा।
32. सफल निविदादाता, पुराने वाहन के स्थान पर नया वाहन लगाना चाहता है तो जयपुर दुग्ध संघ से लिखित स्वीकृति उपरान्त नया वाहन लगायेगा। वाहन स्वयं सफल निविदादाता का ही होगा। वाहन अनुबन्ध शर्तों की मॉडल के बाद का होना चाहिये। इसके लिये सफल निविदादाता पर किसी प्रकार का अधिभार नहीं लगाया जायेगा।
33. यह कि अगर सफल निविदादाता के कर्मचारी जयपुर दुग्ध संघ के कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करेगा तो जयपुर दुग्ध संघ को अधिकार होगा कि वह सफल निविदादाता से उस व्यक्ति को नौकरी से हटवा दे और जयपुर दुग्ध संघ स्वयं भी तथाकथित कर्मचारी के संघ में प्रवेश पर पाबन्दी लगा सकेगा। किसी प्रकार के अभद्रव्यवहार की जानकारी सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा प्रशासन को लिखित में दी जावेगी। मामले की गम्भीरता को मददेनजर करते हुये परिवहन ठेकेदार पर जुर्माना भी किया जा सकेगा एवं ब्लेक लिस्ट भी किया जा सकेगा। चालक व हैल्पर का नाम व फोटो गाड़ी के साथ परिचय पत्र के रूप में देना होगा।
34. अगर कोई वाहन ठेकेदार पंजीकृत कम्पनी के नाम पर टैन्डर देना चाहेगा तो उसे पंजीयन प्रमाणपत्र टेण्डर दस्तावेज के साथ लगाना होगा और उस पर वहां के भागीदारी के दस्तखत, जिसे भागीदारी प्रपत्र में हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत किया गया है, के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होना होगा। भागीदारी के नामों में व भागीदारी के गठन में इस निविदा के दौरान यदि परिवर्तन किया जावेगा तो उस परिवर्तन की तारीख से एक सप्ताह के अन्दर अन्दर जयपुर दुग्ध संघ को सूचित करके अवगत करना होगा।
- 35 (अ) अनुबन्ध अवधि में किसी भी प्रकार का विवाद/मतभेद होने पर निपटारा पंच निर्णय द्वारा किया जायेगा एवं सोल पंच निर्णायक, अध्यक्ष, दुग्ध संघ, जयपुर होंगे। उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- (ब) किसी भी तरह की न्यायिक विवादों की दशा में न्यायाधिक क्षेत्र जयपुर होगा।
36. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति/संकलन केन्द्रों द्वारा दुग्ध में घटोतरी परिवहनकर्ताओं की लापरवाही से हुई है तो घटोतरी से हुई हानि की कटौती सम्बन्धित परिवहनकर्ता के दुग्ध बिल से की जावेगी। इसके अतिरिक्त, संघ द्वारा आवश्यक समझा गया तो परिवहनकर्ता दूध नाप कर फ़ैट व एस.एन.एफ. निकलवाकर, समिति को प्राप्ती रसीद दिलवाई जायेगी एवं अन्तर आने पर परिवहनकर्ता से कटौती की जा सकेगी।
37. सफल निविदादाता द्वारा दुग्ध परिवहन के दौरान अतिरिक्त किये गये अन्य कृत्य यथा भुगतान प्राप्त करने, भुगतान बिल आदि प्रस्तुत करने में बरती गई लापरवाही के कारण जयपुर दुग्ध संघ को हुई हानि की दशा में उसकी पूर्ति किये जाने की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
38. उक्त शर्तों के अतिरिक्त संघ हित में अन्य शर्तों को जोड़ने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक में निहित होगा।
39. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात सफल निविदादाता को संघ का नाम मात्र (नोमिनल) सदस्य बनना आवश्यक है जिस हेतु नाम मात्र सदस्य की हिस्सा राशि के ₹100/- (एक सौ मात्र) एवं ₹10/- सदस्यता शुल्क जमा कराना होगा। संघ के नये उपनियमों के अनुसार संघ के नाम मात्र (नोमिनल) सदस्य पर उपनियम की शर्तें लागू होगी।
40. संघ द्वारा कैन मय ढक्कन परिवहनकर्ता का सौंपे जावेगें जिन्हें वह आवश्यकतानुसार दुग्ध संकलन मार्ग की समितियों को उपलब्ध करायेगें। समितियों से प्राप्त करेगें। इस हेतु सभी कैनो पर परिवहन कर्ता को कैन नं. लिखना होगा। अनुबन्ध कर्ता को अनुबन्ध की समाप्ति पर दुग्ध कैन मय ढक्कन संघ को वापस जमा कराने होंगें। कैन मय ढक्कन की कमी एवं टूट फूट के लिये परिवहन कर्ता उत्तरदायी होंगें।
41. प्रथम सफल निविदादाता को अनुबन्ध सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करने हेतु (जैसे सिक्कूरिटी जमा करवाना, अनुबन्ध पत्र भरना, गाड़ी के कागजात की फोटो प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिये) संघ द्वारा पत्र जारी किया जावेगा।

- इसके अन्तर्गत दी गई अवधि में उक्त कार्यवाही पूर्ण न करने की स्थिति में संघ में, यह अधिकार निहित होगा कि प्रथम सफल निविदादाता की अर्नेष्ट मनी जब्त कर द्वितीय सफल निविदादाता को अनुबन्धित कर दिया जावेगा। वाहन लगने से पूर्व वाहन का (भौतिक) वाहन निरीक्षण प्रबन्धक (एफओपी)/जोन प्रभारी से करवाना होगा।
- 42 यदि अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध अवधि के मध्य में अनुबन्ध तोड़ता है तो संघ में यह अधिकार निहित होगा कि अनुबन्धकर्ता की जमा सिक्यूरिटी राशि एवं बकाया परिवहन बिल की राशि जब्त कर अनुबन्धकर्ता का अनुबन्ध निरस्त करते हुये अन्य दुग्ध परिवहन व्यवस्था की जावेगी।
- 43 जयपुर दुग्ध संघ, अपने स्वयं के उत्पादों का अथवा उसके द्वारा अधिकृत संस्था/विज्ञापन दाता का बोर्ड, सफल निविदादाता के अनुबन्धित वाहन पर प्रदर्शित कराने के लिये, जयपुर दुग्ध संघ द्वारा पार्टी को कोई शुल्क या प्रतिफल नहीं दिया जावेगा। इस प्रकार वाहन पर लगाये गये बोर्ड को हटाने या उसमें चूक के लिये जयपुर दुग्ध संघ को सफल निविदादाता को देय भुगतान में से ₹100/- प्रतिदिन का हिसाब से चूक की अवधि तक शास्ति वसूलने का अधिकार होगा। इस राशि की कटौती सफल निविदादाता को देय भुगतान में से सीधे करने का अधिकार जयपुर दुग्ध संघ को होगा। सफल निविदादाता द्वारा ऐसे किसी विज्ञापन बोर्ड को खराब करने पर जयपुर दुग्ध संघ को सफल निविदादाता को किये जाने वाले भुगतान में से विज्ञापन बोर्ड के मूल्य के बराबर राशि सीधे काटने का अधिकार होगा। संघ द्वारा किये गये डिजायन के अनुसार लोगो गाडी पर पुतवाना/लिखवाना होगा एवं अनुबन्ध समाप्ती पश्चात लोगो हटवाने एवं वाहन का निरीक्षण पश्चात ही अन्तिम बिल भुगतान वास्ते पारित किया जावेगा।
- 44 जयपुर दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा कि वह दुग्ध का गर्मी, सर्दी, व वर्षा से खराब होने से बचाने के लिये सफल निविदादाता को दुग्ध वाहन पर त्रिपाल लगाने एवं उस पर पानी छिडकने का आदेश दे सकें। इसका पालन न करने पर जयपुर दुग्ध संघ द्वारा सफल निविदादाता से खराब हुये दूध के मूल्य के साथ ₹200/- प्रति चक्कर जुर्माना वसूला जा सकेगा। तीन दिवस तक लगातार त्रिपाल न लगाने पर परिवहन अनुबन्ध रदद करने की कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।
- 45 किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक में निहित होगा।
- 46 दुग्ध परिवहन ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह बिल प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा दुग्ध परिवहन बिल का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा।
- 47 सफल निविदादाता को अनुबन्ध हस्ताक्षर करते समय ही स्थाई खाता सं. (पैन नं.) प्रस्तुत करना होगा। बिना पैन नम्बर के बिलों का भुगतान नहीं होगा।
- 48 ग्रामीण दुग्ध परिवहन वाहनों में प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र के वाशिंदा वाहन मालिकों को दी जावेगी।
- 49 जयपुर दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा कि वाहन की आवश्यकता नहीं होने पर 07 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
- 50 दुग्ध वाहन में दूध की चोरी हेराफेरी पकड़े जाने पर दुग्ध परिवहन ठेकेदार, वाहन चालक, हैलपर एवं अन्य स्टॉफ एवं वाहन को तुरन्त प्रभाव से ब्लैक लिस्ट किया जावेगा एवं अन्तिम दुग्ध परिवहन बिल एवं सिक्यूरिटी राशि जब्त करने का जयपुर दुग्ध संघ को अधिकार होगा।
- 51 किसी चिन्हित दुग्ध पथ पर लगाये गये अनुबन्ध वाहन में क्षमता से अधिक दूध मात्रा होने पर दुग्ध संघ चाहे तो दुग्ध वाहन ठेकेदार को अतिरिक्त वाहन उन्हीं शर्तों पर लगाने की अनुमति दे सकता है।
- 52 दुग्ध वाहन किसी प्राकृतिक विपदा/कारणों के अलावा, यदि 30 मिनट के उपरान्त डेयरी डॉक पर पहुँचता है और यदि दूध खराब (खट्टा/दही) नहीं होता है तब भी दुग्ध वाहन ठेकेदार से प्रति 30 मिनट रू 100/- की कटौती की जावेगी उपरोक्त निर्णय प्रभारी डेयरी डॉक द्वारा किया जावेगा।
- 53 सफल निविदादाताको फूड सेफटी एवं स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 के तहत दुग्ध परिवहन कार्य से सम्बन्धित प्रावधानों की पालना के क्रम में पंजीयन/लाईसेन्स लेना अनिवार्य होगा एवं उक्त एक्ट के प्रावधानों की पालना करने की समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
- 54 सफल निविदादाता सभी प्रकार की न्यायिक/सामाजिक बाध्यताये पूरी करने व समस्त एक्ट – ट्रांसपोर्ट/ईएसआई/पीएफ इत्यादि के प्रावधानों की पालना हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 55 दुग्ध वाहन में दूध के अतिरिक्त सवारी या अन्य सामान पाये जाने पर सफल निविदादातापर जयपुर दुग्ध संघ को शास्ति लगाने का अधिकार होगा एवं अन्य सामान में दूध की गुणवत्ता पर विपरित असर डालने वाला सामान पाया जाता है तो सफल निविदादाताको चेतावनी देते हुए प्रथम बार शास्ती लगाई जा सकेगी एवं पुनरावृत्ति होने पर निलम्बन कर अनुबन्ध समाप्त करने का जयपुर दुग्ध संघ को अधिकार होगा।
- 56 निविदादाता द्वारा स्वयं प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित इस बाबत् प्रमाण पत्र कि उन्हे किसी भी दुग्ध संघ द्वारा वाहन

- उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में प्रतिबन्धित/ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है, भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
57. निविदादाता द्वारा लाभ के लिए यदि जानबूझकर गलत सूचना दी जाती है तो ऐसी सूचना के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा एवं जयपुर दुग्ध संघ को निविदा को किसी भी स्तर/समय पर निरस्त करने का अधिकार होगा।
58. अनुबन्ध के दौरान अनुबन्धित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर इससे सम्बन्धित समस्त जिम्मेदारी जिसमें पुलिस, बीमा एवं अन्य दायित्व आदि सफल निविदादाता की होगी। जयपुर दुग्ध संघ का इस हेतु कोई दायित्व नहीं होगा।
59. बाल श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत यदि अनुबन्धित वाहन में कोई बाल श्रमिक पाया गया तो उसकी जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
60. दुग्ध वाहन परिचालक व अन्य कोई व्यक्ति दुग्ध वाहन के पीछे डाले पर कैनो के साथ बैठा पाया जाता है तो सचिव, मार्ग प्रभारी एवं उपकेन्द्र प्रभारी की सिफारिश पर वाहन ठेकेदार पर अधिभार लगाया जायेगा।
61. सफल निविदादाता को स्वयं के खर्च पर दुग्ध वाहन/टैंकर में जयपुर दुग्ध संघ के निर्देशानुसार जीपीएस उपकरण लगवाना होगा। यदि वाहन में वाहन ठेकेदार/चालक द्वारा जीपीएस उपकरण को क्षति पहुंचायी जाती है अथवा उपकरण से छेड़-छाड़ की जाती है अथवा हटाया जाता है तो दुग्ध संघ द्वारा पेनल्टी लगाई जावेगी।
62. यदि कोई वाहन पूर्व में चोरी/अनियमितता में दोषी पाया गया है, तो जयपुर दुग्ध संघ द्वारा इस प्रकार का वाहन स्वीकार नहीं होगा।
63. यदि कोई निविदादाता पूर्व में संघ के साथ व्यापार में चोरी/अनियमितता इत्यादि में लिप्त हुआ है व दण्डित किया गया है तो टेण्डर में अयोग्य माना जावेगा।
64. सरकार/तेल कम्पनियों द्वारा डीजल की दरों में परिवर्तन करने पर प्रत्येक माह की प्रथम दिनांक को जो भी डीजल की दर होगी, उसी के अनुसार उस माह के लिए परिवहन दर निर्धारित की जावेगी। संघ द्वारा उसके अनुसार टाटा 407 की 10 किमी./ लीटर की दर से आनुपातिक बढ़ोतरी/ घटोतरी कर अनुपात में भुगतान किया जावेगा। प्रतिक्रिया वाले दुग्ध वाहनों की वास्तविक किमी के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
65. यदि पार्टी द्वारा कोई सूचना या दस्तावेज गलत उपलब्ध कराया जाता है तो संघ द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जो पार्टी को मान्य होगा/होगी।
66. सफल निविदादाता को –
- (I) बैंक का नाम
  - (II) बैंक शाखा का नाम
  - (III) बैंक खाता संख्या
  - (IV) बैंक का आईएफएससी कोड आदि प्रस्तुत करना होगा।
67. निविदादाता के पास स्वयं का वाहन नहीं होने पर स्थिति में टेण्डर स्वीकृत पर खरीद कर लगाना चाहता है तो वह टेण्डर में भाग ले सकता है। निविदा फार्म में वाहन का रजिस्ट्रेशन क्षमता व मॉडल वर्ष अंकित करना होगा तथा वाहन निविदाकर्ता के नाम की फोटो प्रतियाँ निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है। वाहन निविदादाता के नाम से होना आवश्यक है। यदि वाहन किसी अन्य नाम से है तो वाहन स्वामित्व उसे अपने नाम से स्थानान्तरण करने के पश्चात् ही बिल का भुगतान देय होगा।
68. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संघ की शर्तों एवं नियमों के अनुरूप निविदा शर्तों में निर्दिष्ट वाहन का अनुबंध/फिटनेस व वाहन संबंधित समस्त कागज प्रस्तुत करने होंगे।
69. पूर्ण रूप से भरे निविदा प्रपत्र को मय धरोहर राशि रु. 50,000/- (पचास हजार) प्रति वाहन की डीडी (CTS) निर्धारित तिथि एवं समय पर जमा करवाना होगा। सफल निविदादाता को कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के रूप में रु. 1,00,000/- प्रति वाहन की डीडी (CTS) जमा करवाना होगा। जमा कराई गई धरोहर राशि रु. 50,000/- को वांछित कार्य संपादन प्रतिभूति राशि रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख) प्रति वाहन में समायोजित कर दिया जावेगा। आर.टी.पी.पी एक्ट के अनुसार कार्य संपादन प्रतिभूति राशि डीडी/बैंकर चैक/पे-ऑर्डर, बैंक गारंटी के रूप में दी जा सकती है। जमा सुरक्षा राशि/अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
70. निविदादाता द्वारा स्वयं प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाना होगा कि उसे जयपुर दुग्ध संघ व अन्य दुग्ध संघों द्वारा वाहन उपलब्ध करवाने के संबंध में प्रतिबंधित/ ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो एवं यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा संघ के विरुद्ध किसी भी प्रकार का वाद लॉम्बित होने पर निविदा अयोग्य मानी जावेगी।

1. निविदादाता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों एवं राजस्थान मोटर करारोपण नियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
2. ठेके के दौरान वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर इससे संबंधित समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। संघ का इस हेतु कोई दायित्व नहीं होगा। दुर्घटना में जान-माल की हानि की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इस संबंध में पुलिस इन्श्योरेंस व अन्य दायित्व ठेकेदार के होंगे।
3. ठेकेदार द्वारा वाहन पर वाणिज्यिक लाइसेंसशुदा एवं स्वस्थ वाहन चालक ही लगाया जावे एवं फिटनेस संबंधि समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होनी चाहिए।
4. ठेकेदार द्वारा संघ को उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन का टैक्स, इन्श्योरेंस, प्रदुषण नियंत्रण का प्रमाण-पत्र (पी.यू.सी) एवं फिटनेस संबंधि समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होनी चाहिए। वाहन का सम्पूर्ण बीमा वाहन में बैठने वाली सवारियों सहित होना चाहिए।
5. ठेके के दौरान वाहन खाली समय में किसी अन्य कार्य में उपयोग नहीं लिया जा सकेगा तथा ठेका अवधि में बिना सूचना वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने की दशा में गुण-दोष के आधार पर न्यूनतम रु. 500/- प्रतिदिन की शास्ति आरोपित की जा सकेगी।
6. वाहन चालक को संघ के नियमों का कड़ाई/सख्ताई से पालन करना होगा तथा अधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा।

**Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.**  
**Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur**  
**PABX No. : 91-0141-2713666-69 (4 Lines) ,Sales :91-0141-2713670**  
**Fax No. : 0141-2711075, MANAGER (PLANT): 0141-2711583**  
E-Mail: jaipurdairy@jaipurdairy.com Website : <http://www.jaipurdairy.com>

**2026-28**

**SCOPE OF WORK**

S. No.	SCOPE OF WORK	QUANTITY
1.	Hiring of Tata 407 at Kotputli (First) zone of Jaipur Dairy	<b>01 nos.</b>
2.	Hiring of Tata 407 at Kotputli (Third) zone of Jaipur Dairy	<b>01 nos.</b>

निविदादाता द्वारा जिस स्थान/वाहन के लिये निविदा भरी जानी है, उसे (✓) चिन्हित किया जाना आवश्यक है।

## अनुभाग IV :

फॉर्म/दस्तावेज जो की प्रस्तुत किये जाने है

**Form -1**

**TECHNICAL PROPOSAL SUBMISSION FORM**  
*(On the letter head of the Bidder)*

To

Managing Director,  
Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.  
Jaipur-302 015, Rajasthan

{Location, Date}

Dear Sir:

We, the undersigned, offer to E-Tender Document Hiring of TATA 407 at Sub-Center of Jaipur Dairy in accordance with your Bid Proposals dated [Insert Date]. We are hereby submitting our Proposal, which includes this Technical Proposal and a Financial Proposal as e- procurement portal i.e. <http://eproc.rajasthan.gov.in>

We hereby declare that:

(a) All the information and statements made in this Bid/Proposal are true and we accept that any misinterpretation or misrepresentation contained in this Bid/Proposal may lead to our disqualification by the Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd. and action may be taken against us under the provisions of the Act and the Rules.

(b) Our Proposal shall be valid and remain binding upon us for the required period of 90 Days.

(c) We declare that we have complied with the and shall continue to comply with the provisions of Code of Integrity contained in the Bid Document in competing for and in execution of the Contract and that we have no conflict of interest in accordance.

(d) We meet the Eligibility and Qualification criteria as required in the Bid Document.

(e) Our Bid/Proposal is binding upon us and subject to any modifications resulting from the Contract negotiations.

(f) We undertake, if our Proposal is accepted and the Contract is signed, to initiate the Services related to the assignment no later than the period stated in the Bid Document.

(g) We understand that the Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd. is not bound to accept any Proposal that it receives.

We remain,

Yours sincerely,

Authorized Signature {In full and initials}: \_\_\_\_\_

Name and Title of Signatory: \_\_\_\_\_

Name of Bidder (firm's/ company's name): \_\_\_\_\_

In the capacity of: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Contact information (phone and e-mail): \_\_\_\_\_

**Form-2**  
**BIDDER'S ORGANIZATION AND EXPERIENCE**

Form-2: a brief description of the Bidder's organization and an outline of the recent experience of the Bidder that is most relevant to the assignment. For each assignment, the outline should indicate, the duration of the assignment, the contract amount and the Bidder's role/ involvement.

**Bidder's Organization**

1. Name & full address of the firm  
Submitting the tender ( In block letters) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Phone no. \_\_\_\_\_ Mobile no. \_\_\_\_\_  
Fax No. \_\_\_\_\_ Email address \_\_\_\_\_
2. Addressed to : JZDUSS. Ltd., Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur - 15
3. Office Location (Complete address)  
.....  
.....  
Phone no. \_\_\_\_\_ Mobile no. \_\_\_\_\_  
Fax No \_\_\_\_\_ Email address \_\_\_\_\_
5. Name of the person/s authorized to : .....  
Negotiate and sign the contract  
(Designation / status in the firm) .....  
(Enclose an attested photocopy of power of attorney issued by all partners/director in favour of nominated person).
6. Status of tenderer with signature : Individual/ HUF/ firm/ company  
(tick mark only) (Specify the details in enclosed annexure-I)  
(Mandatory: Before making any change in constitution of the firm, it will be intimated to JZDUSS LTD., Jaipur for approval).
7. Earlier experience in this field (if any) : Enclose the document/s.
8. Tender Fee Details:  
Rs..... DD no..... date.....  
JZDUSS LTD. / Name of the Bank..... Branch.....  
(The DD should be in favour of JZDUSS LTD. Ltd, Jaipur payable at Jaipur)
9. EMD / Bid Security Details:  
DD no. .... dated...../...../2026  
JZDUSS LTD. / Issued by Bank..... Branch..... (DD should be in favour  
of JZDUSS LTD., Ltd., Jaipur, payable at Jaipur. No interest will be payable on EMD.
- 10 MD RISL Processing Fees ..... DD no..... Date..... Bank Name.....  
(in favour of MD RISL)
11. (a) PAN Card / No..... (Attach attested Photocopy)  
(b) GSTN No ..... (Attach attested Photocopy)
12. Details of the Bankers: Name..... Branch .....
- District..... State ..... Acc No. ....
- IFSC Code.....

SIGNATURE OF THE TENDERER WITH OFFICE SEAL & DATE  
JZDUSS LTD.

**FORM -4**  
*(On the letter head of the Bidder)*

**Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act**

**Declaration by the Bidder**

In relation to our Bid/Tender submitted to Managing Director, Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur-302015, Rajasthan for Hiring of TATA 407 at Sub-Center of Jaipur Dairy, In response to their Bid/Tender No... ..Dated we hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012,2013 that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd..
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have our affairs administered by a court or a judicial officer, not have our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date: \_\_\_\_\_ Signature of Bidder  
Place: \_\_\_\_\_ Name :  
Designation:  
Address:

**FORM -5**

**POWER OF ATTORNEY**  
*(On the letter head of the Bidder)*

Know all men by these presents, We ..... (name and address of the registered office) do hereby constitute, appoint and authorise Mr / Ms..... (name and residential address) who is presently employed with us and holding the position of ..... as our attorney, to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things necessary in connection with or incidental to our Bid for selection as Bidder for Hiring of TATA 407 at Sub-Center of Jaipur Dairy to be supplied by our milk unions. Including signing and submission of all documents and providing information/responses to JZDUSS LTD., JAIPUR in all matters in connection with our Applicant for the said Assignment.

We hereby agree to ratify all acts, deeds and things lawfully done by our said attorney pursuant to this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our aforesaid attorney shall and shall always be deemed to have been done by us.

Dated this the Day of Acceptance

For .....Name & signature

(Name and designation of the person(s) signing on behalf of the Applicant)

**FORM -6**

—: शपथ – पत्र :-

(On the letter head of the Bidder)

मैं / हम निविदादाता ..... पुत्र श्री ..... पता.....  
..... ( फर्म के नाम से निविदा भरने की स्थिति में यह शपथ पत्र फर्म  
के प्रोपराइटर/सभी पार्टनर/सभी डायरेक्टर द्वारा भरा जावेगा) सशपथ घोषणा करता हूं कि

1. मैं/हमारे द्वारा जयपुर संघ अथवा संघ के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध (संघ से सम्बन्धित कार्य के बारे में ) किसी भी न्यायालय अथवा कहीं और किसी भी प्रकार का वाद लम्बित नहीं है ।
2. जयपुर संघ द्वारा मेरे/हमारे के विरुद्ध किसी भी न्यायालय अथवा कहीं और किसी भी प्रकार का वाद लम्बित नहीं है ।
3. मेरा/हमारा पूर्व में संघ द्वारा किसी भी कारण से अयोग्य नहीं किया गया है/निलम्बित नहीं / अनुबंध निरस्त नहीं किया गया है / ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है ।
4. मेरा/हमारा संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य से/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी (As on date of submission of Tender) वित्तीय सम्बन्ध नहीं है ।
5. मेरा/हमारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्य/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी/अधिकारी /कर्मचारी से रक्त सम्बन्ध नहीं है ।
6. मैं/हम दीवालिया /नाबालिक/अस्वस्थ मस्तिष्क के नहीं है ।
7. मैं/हम संघ के समान/प्रतिस्पर्धी कार्य/व्यापार मे लिप्त नहीं है ।
8. मैं/हम वर्तमान में किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड के कार्यालय/संयंत्र में अनुबंध के अंतर्गत कार्यरत नहीं हैं ।
9. मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गई घोषणा गलत पाये जाने पर मेरी/हमारी धरोहर /सुरक्षा राशि/बैंक गारंटी/अन्य देय भुगतान संघ में जब्त समझी जावेगी एवं टेण्डर की अवधि के दौरान तथ्य उजागर होने पर टेण्डर को निरस्त भी किया जा सकेगा । जिसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार रहूंगा ।

**Form -7**

**TENDER ACCEPTANCE DECLARATION**

*(On the letter head of the Bidder)*

Tender Reference No. \_\_\_\_\_

Tender ID No. \_\_\_\_\_

Name of Tender / Work / Item \_\_\_\_\_

Dear Sir,

I / We have downloaded / obtained the tender documents(s) for the above mentioned "Tender / Work / Item" from the web site(s) namely:

\_\_\_\_\_ as per your advertisement, given in the above mentioned website(s).

1. I / We hereby certify that I/We have read and understood the entire terms and conditions of the tender documents (including all documents like Special Notes, annexure(s), Schedules(s), Specifications of the item(s), etc.) which form part of the contract agreement and I / We shall abide hereby the terms / conditions / clauses contained therein.
2. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organization too has also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.
3. I / We hereby unconditionally agree & accept the tender conditions of above-mentioned tender document(s) corrigendum(s) in its totality / entirety.
4. In case any provisions of this tender are found violated or breached then your department / organization shall without prejudice to any other legal right or remedy be at liberty to reject this tender / bid including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

Yours Faithfully,

(Signature of the Bidder, With Official Seal)

## FORM -8

—: शपथ — पत्र :-

(On the letter head of the Bidder)

मैं / हम निविदादाता ..... पुत्र श्री ..... पता .....  
..... ( फर्म के नाम से निविदा भरने की स्थिति में यह शपथ पत्र फर्म  
के प्रोपराइटर/सभी पार्टनर/सभी डायरेक्टर द्वारा भरा जावेगा) सशपथ घोषणा करता हूँ कि

1. मेरे द्वारा नियोजित श्रमिकों को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना की जावेगी ।
2. मेरे द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खातों में ही दिया जावेगा । बैंक खातों में जमा करवायी गयी राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा ।
3. मेरे द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जावेगा ।
4. मेरे द्वारा राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ईपीएफ एवं इएसआई की राशि जमा करवायी जावेगी ।
5. कार्य सम्पादन की अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध /संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने/इउसआई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी मेरी होगी । इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
6. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी । श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं,दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये मेरी जिम्मेदारी होगी ।
7. सफल निविदादाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी । सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी । निविदादाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी । वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जावेगा । उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST)के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा ।
8. यदि सफल निविदादाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी निविदादाता की होगी । इसके लिए उपापन संस्था को सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
9. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा ।

अनुभाग -V

**CONTRACT FORMS  
AND  
PERFORMANCE SECURITY**

SIGNATURE OF THE TENDERER WITH OFFICE SEAL & DATE  
JZDUSS LTD.

# Contract Agreement

(To be executed on Non-Judicial Stamp Paper of appropriate value)

## Rate Contract for Hiring of TATA 407 at Sub-Center of Jaipur Dairy

**Between**

**Managing Director,**

Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.

Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur-302015

**and**

**[Name of the Bidder]**

**Dated:**

### AGREEMENT

(On non judicial stamped paper of value Rs. 1000/-)

An agreement made this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ between M/s. \_\_\_\_\_ hereinafter called "Approved Bidder" which expression shall where the context so admits, be deemed to include his heirs, successors, executors and administrators of the one part and the Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited

1. (Hereinafter called "the Milk Union" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.
2. Whereas the approved Bidder has agreed with the Milk Union for -----  
-----& all those articles set forth in the LOI/LOA/work order issued vide No. \_\_\_\_\_ and in the manner set forth in the aforesaid order.
- 3(a) And whereas the approved Bidder has deposited a sum of Rs. \_\_\_\_\_ in form of Cash Security/DD/Bank Guarantee as Performance security for the due performance of the agreement.
- 3(b) And whereas the approved Bidder has deposited a sum of Rs. \_\_\_\_\_ in form of Cash Security/DD/Bank Guarantee as Additional performance security for Hiring of TATA 407 at Sub-Center of Jaipur Dairy offered for the due performance of the agreement. The Bank Guarantee valid for the contracted period from any scheduled Bank approved by RBI in the prescribed format of JZDUSS LTD.
- 3(c) And whereas the approved Bidder has agreed:
  - (i) to keep the performance security with the Milk Union in form of Bank Guarantee for contract period or such extended period so as to cover the period of performance of contract as per the LOI/LOA/ work order. In case the approved Bidder completes its contractual obligations before contract period the additional performance security deposit can be refunded before contract period at the sole discretion of JZDUSS LTD.
  - (ii) That no interest shall be paid by the Milk Union on the performance security deposit.
  - (iii) That in case of breach of any terms & conditions of the aforesaid conversion LOI/LOA/work order of this agreement by the approved Bidder, the amount of the performance security or additional performance security shall be liable to forfeiture in full or part by the Milk Union.

SIGNATURE OF THE TENDERER WITH OFFICE SEAL & DATE  
JZDUSS LTD.

**NOW THESE PRESENT WITNESS**

1. In consideration of the payment to be made by the Milk Union at the rates set forth in the aforesaid LOI/LOA/work order, the approved Bidder will duly supply all those articles set forth in the work order issued and, in the manner, set forth and within the period stipulated in the conditions of the Bid/tender and order.
2. The conditions of the Bid/Tender as given in the Bid/tender document for the work, conditions of the aforesaid LOI/LOA/work order and also any subsequent amendment as may be issued by the Milk Union will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.
3. That all the terms and conditions of the Bid/Tender Form including its Annexures stands ipso facto included as terms of this agreement as inseparable part of this agreement and binding on approved Bidder.
4. For Hiring of TATA 407 at Sub-Center of Jaipur Dairy Has been specified in the Special Terms & Conditions.
5. The mode of payment will be as specified in the Bid documents. Work shall be effected and completed in the manner and time specified in the LOA/work order. In case the approved Bidder fails to execute the work within the time specified in the aforesaid LOA/work order, the conditions of liquidated damages and penalty those for late completion of work as stipulated in the aforesaid work order/contract shall be enforced.

If the Bidder considers at any time during the performance of the Contract that he is unable to meet the agreed dates and deadlines set forth for various deliverables due to occurrence of an event of Force Majeure or any other reasons, it may request in writing immediately on the occurrence of cause of hindrance to the Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited, to extend the period of delivery. The Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited, after considering the reasons and justifications, may extend the period with or without liquidated damages.

**6. Amicable Settlement**

The parties shall use their best efforts to settle amicably all disputes arising out of or in connection with this Contract or the interpretation thereof. In the event a dispute, differences or claim arises in connection with the interpretation or implementation of this Contract, the aggrieved party shall issue a written notice setting out the dispute/ differences or claim to the other party. Parties shall first attempt to resolve such dispute through mutual consultation. If the dispute is not resolved as aforesaid within 30 days from the date of receipt of written notice, the matter will be referred for Arbitration.

7. All disputes and difference arising between the parties out of the agreement or incidental thereto shall be decided by arbitration under the provisions of the Arbitration and conciliation Act, 1996 or any other law for the time being in force and the same shall be final and binding on both the parties.
8. All the disputes pertaining to the said contract shall vest to the jurisdiction of Courts at Jaipur.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the \_\_\_\_\_ day \_\_\_\_\_.

SIGNATURE OF THE APPROVED SUPPLIER:

:

SIGNATURE FOR AND ON BEHALF OF the Milk Union

**Witness No.1**

Signature : \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Witness No.1**

Signature: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Witness No.2**

Signature : \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_

**Witness No.2**

Signature : \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_

SIGNATURE OF THE TENDERER WITH OFFICE SEAL & DATE  
JZDUSS LTD.